न्यायालय :— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 15/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 03.08.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/244

प्रार्थीगण

1. मोहनलाल पुत्र बचनाराम
2. मादीया उर्फ मादुराम पुत्र गणेश
3. मीठीलाल पुत्र गणेश
4. श्रवणराम पुत्र बंशीलाल
5. सत्यनारायण पुत्र हापुराम
6. हरजीराम पुत्र हापुराम
   जातियान माली निवासीगण नारपुरा (गिरी) तहसील रायपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. दिनेश नायक पुत्र मदनलाल नायक
2. श्यामलाल पुत्र ढगलाराम
3. प्रताप पुत्र दुर्गाराम
4. बाबु पुत्र दुर्गाराम
   जातियान नायक निवासीगण नारपुरा तहसील रायपुर जिला पाली राज.
5. महेन्द्र पुत्र नामालुम
   जाति नायक निवासी बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर जिला पाली राज. हाल मुकाम नारपुरा (गिरी) तहसील रायपुर
6. प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च माध्यमिक विद्यालय,नारपुरा (गिरी)
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय,रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली राज.
8. तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री फिरोज खान वगैरह अधिवक्ता प्रार्थी
2 अप्रार्थीगण उपस्थित एवं सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 03.04.2025**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री फिरोज खान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी भू.अभि.नि.क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर में खसरा नम्बर 615 रकबा 1.8373 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 तथा नक्शा की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थीगण के पैरा संख्या 01 में वर्णित खातेदारी भूमि के आस पास अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 05 की कोई किसी प्रकार की खातेदारी भूमि नही आई है तथा प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित आराजी के पास में ही खसरा नं. 609/4 रकबा 2. 2500 हैक्टेयर किस्म गै.मु.खेल मैदान स्टेडियम की भूमि जो की खेल व राजकीय उपयोग व उपभोग हेतु नियत है तथा तरमीम सुदा हैं। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 05 ने नाजायज व विधि विरूद्व रूप से कब्जा कर हम प्रार्थीगण की भूमि को भी हड़पना चाहते है तथा बैवजह आये दिन झगडा व टंटा फसाद कर गाली गलौच करते रहते है तथा हमारी पाल डोल को तोडते बिखेरते रहते है तथा हमारी भूमि की माट को आये दिन तहस नहस करते रहते है तथा फसल को भी नुकसान पहुँचाते रहते

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

है। हमारी भूमि की पाल डोल व बाड को बार बार तोड़ने विखेरने से ग्राम के आवारा पशु हमारी बोई हुई
फसल को नुकसान पहुँचाते रहते है जिससे हम प्रार्थीगण व्यथित होकर दिनांक 01.10.2018 को सीमाज्ञान
के आदेश करवाकर पटवारी हल्का गिरी दिनांक 11.10.2018 को रूबरू गवाहान के मौका फर्द बनाकर
सीमाज्ञान किया गया जिसमें हम प्रार्थीगण भी उपस्थित थे तथा उसी सीमाज्ञान से हम प्रार्थीगण संतुष्ट
भी थे जब हमने उपरोक्त दिनांक के सीमाज्ञान में बताये गये नैखम के अनुसार मुड्डे लगाये और बाड
कर दी लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 05 ने जबरन उक्त नैखम निकाल कर फैंक दिये तथा
बाड को भी बिखेर दिया जबकि अप्राथीगण संख्या 01 से लगायत 05 को उक्त कृत्य करने का किसी
प्रकार का कोई हक अधिकार नही है तथा ना ही हम प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी के आस पास
अप्रार्थीगण सं. 01 से लगायत 05 की कोई खातेदारी या पट्टा सुदा भूखण्ड नही है। प्रार्थीगण सीधे सादे
व सामान्य वर्ग की जाति के है जो अपनी ही भूमि काश्त मुतालिक कार्य कर जीवन यापन करते है तथा
अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जिससे प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई वाद
विाद नही करना चाहते, इसलिये आये दिन झगडे व लडाई व वाद विाद से बचने के लिये प्रार्थीगण अपने
हक हिस्से की भूमि पत्थर गड्डी करना उचित समझते हैं इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पडौसी
खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर नैखम कायम कर अपनी भूमि पर पत्थर गड्डी करवाने के
अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थर गड्डी व नैखमबन्दी हेतु
श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा आये दिन झुठे मुकदमो में
फसाने की तथा मारपीट करने तथा प्रार्थीगण की सीमा पाली डोली व माट को बार बार तोडने व हटवाने
की धमकिया देते है। प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से पहले भूमि की पैमाईश करवा ली लेकिन अप्रार्थीगण
जबरन विधि विरूद्व रूप से उसे तहस नहस कर नैखम के मुड्डे हटा लिये जिससे न्यायालय की शरण
में प्रार्थीगण को आना पडा क्योकि पटवारी हल्का ने पूर्व में एक बार सीमाज्ञान कर लिया इसलिये पटवारी
हल्का ने कहा कि इस बार से न्यायालय से आदेश करवा लो तो मै सीमाज्ञान कर पत्थर गड्डी करवा
दुंगा। इसलिये प्रार्थीगण ने श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पर बाबत् सीमाज्ञान व पत्थर गड्डी का पेश
किया है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमांकन कर मौके पर मुड्डे रूपवाकर नैखमबन्दी कर पत्थर
गड्डी करना चाहता है जो न्यायहित में उचित है। जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का उपयोग व
उपभोग पूर्ण रूप से कर सके तथा किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नही करना पड़े इसलिये
तहसीलदार रायपुर को पक्षकार बनाया गया कि पटवारी, भू.अभिलेख निरिक्षक तथा नायब तहसीलदार की
टीम गठन कर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर मुड्डे रोप कर
नैखमबन्दी करावें। जो न्यायहित में आवश्यक व उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 05 झगडालू
प्रवृति के लोग है जो आये दिन विवाद करते है इसलिये जरिये पुलिस इमदाद प्रार्थीगण की खातेदारी
कब्जा काश्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर मुड्डे रोप कर नैखमबन्दी करावें। जरिये प्रार्थना पत्र वास्ते
सीमांकन कर पत्थर गड्डी करने बाबत् पेश कर निवेदन है कि ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी के
खसरा नं. 615 कुल रकबा 1.8373 हैक्टेयर भूमि का तहसीलदार रायपुर को टीम द्वारा जरिये पुलिस
इमदाद सीमाज्ञान कर मुड्डे रोप नैखमबन्दी करने का आदेश करते हुये प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त
आराजी में पत्थर गड्डी करने का आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की ओर से श्री भूपेन्द्र सेन अधिवक्तान ने वकालतनामा पेश किया है। जो संलग्न पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 07 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ है। जो संलग्न हों। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 ने जवाब नहीं देना चाहते है एव बहस करना चाहते हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी को मांठ को लेकर एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी भूमि को बचाने हेतु नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाकर एवं पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि हम प्रार्थीगण द्वारा मांठ को लेकर कोई वाद विवाद नहीं हैं एव ना ही प्रार्थीगण का हमारी भूमि पर कब्जा हैं। इसीलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् सरहद मौजा ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक के खसरा नं. 615 रकबा 1.8373 हैक्टेयर में, प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाने एवं सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन शुल्क प्राप्त कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक के खसरा नं. 615 रकबा 1.8373 हैक्टेयर की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करवाई जावें एवं तहसीलदार रायपुर, मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)